



## राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण राजस्थान उच्च न्यायालय परिसर, जयपुर

(Phone: 0141-2227481, FAX: 2227602, Toll Free Help Line 15100/9928900900)

Email: [rslsaip@gmail.com](mailto:rslsaip@gmail.com), [rj-slsa@nic.in](mailto:rj-slsa@nic.in), website: [www.rlsa.gov.in](http://www.rlsa.gov.in)

क्रमांक:—एफ—7(76)/रालसा/संस्था/पीएलए/2021/110

दिनांक:—25.02.2021

### स्थाई लोक अदालत में पूर्णकालिक अध्यक्ष की नियुक्ति हेतु विस्तृत विज्ञप्ति

विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 (यथा संशोधित) की धारा 22—बी के अन्तर्गत स्थापित पूर्णकालिक स्थाई लोक अदालत मुख्यालय अजमेर, झालावाड़, जयपुर महानगर व कोटा में रिक्त पूर्णकालिक अध्यक्ष के पदों एवं बालोतरा, भरतपुर, जोधपुर महानगर व पाली में वर्ष 2021 में रिक्त होने वाले पूर्णकालिक अध्यक्ष के पदों (कुल 08 पद) पर नियुक्ति हेतु पात्र जिला न्यायाधीश संवर्ग के सेवारत/सेवानिवृत्त अधिकारियों से ऑफ—लाइन आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाते हैं।

#### 1. पूर्णकालिक अध्यक्ष पद हेतु आवेदन करने की पात्रता व योग्यता—

(क) जिला न्यायाधीश संवर्ग के ऐसे अधिकारी, जो सेवानिवृत्त हो चुके हैं।

अथवा

(ख) जिला न्यायाधीश संवर्ग के ऐसे सेवारत अधिकारी, जो दिनांक 31.12.

2021 तक सेवानिवृत्त होने वाले हैं।


#### 2. सेवा के निबंधन एवं शर्तें—

(क) स्थाई लोक अदालत के पूर्णकालिक अध्यक्ष पद पर नियुक्ति प्रारम्भ में 01 वर्ष के लिए की जाएगी, तदोपरान्त प्रतिवर्ष, सेवाएं संतोषप्रद पाए जाने पर अधिकतम कुल 05 वर्ष तक की अवधि या 65 वर्ष की आयु पूर्ण होने तक, जो भी पूर्व हो, तक बढ़ाया जा सकेगा।

(ख) स्थाई लोक अदालत के पूर्णकालिक अध्यक्ष को मानदेय व अन्य सुविधाएं स्थाई लोक अदालत (अध्यक्ष और अन्य व्यक्तियों की नियुक्ति के अन्य निबंधन और शर्तें) नियम, 2003 (यथा संशोधित) के अनुरूप देय होंगी।

(ग) नियुक्ति से पूर्व अभ्यर्थी को एक वचन—बंध (Undertaking) देना होगा कि उसका कोई ऐसा वित्तीय या अन्य हित नहीं है और न ही होगा, जिससे उसके अध्यक्ष के रूप में कृत्यों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना हो।

(घ) अध्यक्ष अपने पद पर न रहने पर, उस तारीख से जिससे वह ऐसे पद पर नहीं रहता है, ऐसे किसी संगठन में या उसके प्रबन्धन या प्रशासन में जो

  
25.2.2021-

उसकी पदावधि के दौरान अधिनियम के अधीन कार्यवाही का विषय रहा है, कोई नियुक्ति धारण नहीं करेगा या उससे सम्बद्ध नहीं रहेगा ।

### 3. चयन की रीति/प्रक्रिया-

(क) स्थाई लोक अदालत के उक्त पूर्णकालिक अध्यक्ष के पद पर चयन योग्य अभ्यर्थियों के साक्षात्कार द्वारा किया जाएगा ।

**नोट-** आवेदन पत्रों की संख्या अधिक होने पर पात्र अभ्यर्थियों में से छंटनी (Short Listing) की जा सकेगी व तदनुसार शेष पात्र अभ्यर्थियों का साक्षात्कार लिया जाएगा ।

(ख) चयन एवं चयन की रीति, प्रक्रिया व मापदण्ड निर्धारित करने का अन्तिम निर्णय माननीय कार्यकारी अध्यक्ष, राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के विवेकाधीन होगा ।

(ग) साक्षात्कार हेतु अभ्यर्थियों को किसी प्रकार का टी.ए./डी.ए. देय नहीं होगा ।

### 4. आवेदन करने की प्रक्रिया व समय सीमा-


(क) पात्रता रखने वाले सेवानिवृत्त न्यायिक अधिकारी को अपना आवेदन पत्र, विज्ञप्ति के साथ संलग्न निर्धारित प्रारूप में भरकर, राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जयपुर के कार्यालय में व्यक्तिशः या डाक द्वारा प्रेषित/प्रस्तुत करना होगा ।

(ख) सेवारत न्यायिक अधिकारी को अपना आवेदन पत्र माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के माध्यम से प्रेषित करना होगा । सीधे इस कार्यालय को प्रेषित ऐसे आवेदन पत्र को विचार में नहीं लिया जाएगा । अतः इच्छुक न्यायिक अधिकारी अपना आवेदन पत्र, अन्तिम तिथि को ध्यान में रखते हुए यथोचित समय पर माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय को प्रेषित करना सुनिश्चित कर लें ।

(ग) आवेदन पत्र का प्रारूप राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण की वेबसाइट [www.rlsa.gov.in](http://www.rlsa.gov.in) से डाउनलोड किया जा सकता है ।


(घ) आवेदन पत्र के साथ वांछित समस्त दस्तावेज की स्व:प्रमाणित प्रतिलिपि संलग्न करनी होगी ।

(ङ) आवेदन पत्र प्रस्तुत करने की अन्तिम तिथि **दिनांक 25.03.2021 (गुरुवार)** समय सांय 5 बजे तक है । अन्तिम तिथि व समय के पश्चात् प्राप्त आवेदन पत्रों अथवा अपूर्ण आवेदन पत्रों को विचार में नहीं लिया जाएगा ।

  
25-2-2021

(च) e-mail अथवा Fax आदि से प्रेषित किसी भी आवेदन पत्र पर विचार नहीं किया जाएगा।

5. नियुक्ति से संबंधित शर्तें व नियम राज्य प्राधिकरण के निर्णयाधीन रहेंगी।
6. आवेदकों को सलाह दी जाती है कि वे आवेदन करने से पूर्व विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 व स्थाई लोक अदालत (अध्यक्ष और अन्य व्यक्तियों की नियुक्ति के अन्य निबंधन और शर्तें) नियम, 2003 का अध्ययन कर लें।
7. उपरोक्त रिक्त पदों की संख्या में किसी भी समय नियमानुसार कमी या वृद्धि की जा सकती है, जिसके लिए पुनः विज्ञप्ति/शुद्धि पत्र जारी नहीं किया जाएगा।

  
25.2.2021  
सदस्य सचिव



# राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण

## :: आवेदन-पत्र ::

(राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जयपुर द्वारा जारी विस्तृत विज्ञप्ति क्रमांक एफ-7(76)/रालसा/संस्था/पीएलए/2021/.....दिनांक 25.02.2021 के क्रम में विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 की धारा 22-बी के अन्तर्गत स्थापित पूर्णकालिक स्थाई लोक अदालत में पूर्णकालिक अध्यक्ष के पद पर नियुक्ति हेतु आवेदन)

1. आवेदक का नाम :

हिन्दी में .....

अंग्रेजी में .....

2. आवेदक के पिता/पति का नाम .....

3. जन्मतिथि (शब्दों व अंकों में) .....

.....

4. गृह जिला (सेवा अभिलेखानुसार).....

5. स्थाई निवास का पता .....

.....

.....

6. वर्तमान पत्राचार का पता .....

.....

.....

7. मोबाइल नम्बर .....

8. ई-मेल .....

9. शैक्षणिक योग्यता (सैकण्डरी, एलएल.बी. एवं तत्पश्चात् अर्जित) :-

पासपोर्ट साइज  
का नवीनतम  
रंगीन  
स्व-हस्ताक्षरित  
फोटो चिपकाएं

क्र. सं.	परीक्षा का नाम	बोर्ड/विश्वविद्यालय	उत्तीर्ण करने का वर्ष	श्रेणी	प्राप्तांकों का प्रतिशत
1.					
2.					
3.					
4.					
5.					

10. न्यायिक सेवा में प्रवेश की दिनांक व पदनाम .....
11. वर्तमान पदनाम (सेवारत आवेदक हेतु) .....
12. अन्तिम धारित पद (सेवानिवृत्त आवेदक हेतु) .....
13. सेवानिवृत्ति की दिनांक .....  
(सेवानिवृत्त आवेदक वास्तविक एवं सेवारत आवेदक भावी तिथि अंकित करें)
14. वेतन श्रृंखला एवं मूल वेतन (वर्तमान या अन्तिम आहरित) .....
15. विगत 07 वर्षों का/सेवानिवृत्ति से अन्तिम 07 वर्ष पूर्व का न्यायिक सेवा का कार्य अनुभव विवरण :-

क्र. सं.	न्यायालय व धारित पद का नाम	अवधि (कब से कब तक)	सम्पादित कार्य की प्रकृति
1.			
2.			
3.			
4.			
5.			
6.			
7.			

16. विधिक सेवाओं के क्षेत्र में, विशेष रूप से लोक अदालत से संबंधित अनुभव एवं उपलब्धियों का संक्षिप्त विवरण – .....
- .....
- .....
17. वकालत का अनुभव –
- न्यायिक सेवा में प्रवेश से पूर्व ..... वर्ष
- सेवानिवृत्ति के पश्चात् ..... वर्ष
18. वर्तमान कार्य/व्यवसाय (Occupation) का विवरण .....
- (सेवानिवृत्त आवेदक के लिए)

19. क्या आवेदक के एक से अधिक जीवित पति/पत्नी हैं ? हाँ/नहीं
20. क्या आवेदक (सेवारत/ सेवानिवृत्त) के विरुद्ध वर्तमान में कोई प्रारम्भिक या विभागीय जाँच लम्बित है अथवा क्या पूर्व में विभागीय जाँच में दोषी पाया गया है ? यदि हाँ, तो उसका विवरण ।
21. यदि आवेदक के विरुद्ध कोई आपराधिक अभियोजन लम्बित है ? यदि हाँ तो उसका विवरण ।

आवेदक के हस्ताक्षर

सत्यापन

मैं ..... पुत्र/पत्नी ..... घोषणा करता/करती हूँ कि इस आवेदन पत्र में अंकित सभी तथ्य एवं विवरण मेरे निजी ज्ञान व विश्वास में सही व सत्य हैं तथा कोई भी तथ्य छुपाया नहीं गया है ।

आवेदक के हस्ताक्षर

दिनांक .....

स्थान .....

नोट : आवेदन पत्र के साथ जन्मतिथि प्रमाण-पत्र, शैक्षणिक प्रमाण-पत्र, सेवानिवृत्ति आदेश व अन्य वांछित दस्तावेज की स्वः सत्यापित प्रतियाँ संलग्न करें ।

\*\*\*\*\*